

"In more than 400 companies each having over Rs. 50 crores paid up share capital, the public sector companies have got more than 25 per cent shareholdings. Out of every crore paid as donation to political parties, Rs. 25 lakhs are paid by the Government to the political party."

क्या सरकार इस जानकारी की पुष्टि करने की स्थिति में है ?

SHRI F. A. AHMED: As I have said earlier, unless the entire information is with me, it may not be possible for me to confirm or contradict it.

SHRI LOBO PRABHU: Will the Ministry collect information about other donations? Would it also collect information about foreign contributions to them? Will it also collect information on the contribution given by trade unions to their representatives? Because, the principle should be that if one side gives up the donation or assistance it gets, the other sides should also give up the same.

SHRI F. A. AHMED: I do not know what the hon. Member means. There are no organisations through which foreign countries make these contributions, so far as my ministry is concerned. I have no organisation through which this information could be collected. If there is a feeling that some contribution is coming from outside, it is for the hon. Member to direct his question to the ministry concerned and they will certainly supply him information.

SHRI K. LAKKAPPA: Is it a fact that certain sections of the Congress headed by Mr. S. K. Patil... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Yesterday also I requested you not to bring in the names of persons who are not here to defend themselves.

SHRI K. LAKKAPPA: ... headed by big congress leaders who were defeated in the general elections but who are in the working committee are putting pressure to stop legislation being

enacted to prevent donations by big industrialists who are in the hands of these congress leaders? What action is this government taking to resist that pressure?... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Please allow the Minister to reply. Otherwise, the allegation goes unchallenged.

श्री सु० भा० खा० : क्या ये सारे प्रतिबन्ध हम लोगों के लिए ही हैं ?

SHRI F. A. AHMED: The hon. Member is entitled to have his opinion. Other persons including the Congressmen are entitled to have their opinion. Government cannot take any action against people holding a different opinion.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: The hon. Minister says it is a matter of opinion. We want to know whether they are going to introduce legislation or not.

SHRI F. A. AHMED: It is already before the House.

SHORT NOTICE QUESTION

STOPPAGE OF PRODUCTION IN ZINC SMELTER AT UDAIPUR

SNQ 13. SHRI BHOLA NATH MASTER:

SHRI YASHPAL SINGH:

SHRI KANWAR LAL GUPTA:

SHRI NAVAL KISHORE SHARMA:

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production in Zinc Smelter at Udaipur has been stopped thereby resulting in unemployment of workers;

(b) whether it is also a fact that huge stocks have piled up; and

(c) if so, the steps Government propose to take to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI): (a) The production in the Zinc Smelter has been temporarily stopped but no permanent or regular employee has been retrenched.

(b) There has been accumulation of stocks as under:—

Zinc ingots	4938 tonnes
Cadmium	... 23 "
Superphosphate	... 18650 "

(c) Steps are being taken by the Government to review and restrict the import of zinc and superphosphate to the minimum. Import of cadmium has been restricted. In the case of zinc, arrangements are being made to divert a part of the stocks for galvanising purposes. Efforts are continuing to clear the stock of superphosphate. Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh Government has assured to take 15,000 tonnes of superphosphate, on an immediate basis. With these measures the factory is expected to resume production from 15th September, 1968.

श्री भोला नाथ मास्टर: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक मात्र यह पबलिक सैक्टर में इंडस्ट्री है जोकि सिलवर कैडिमम और लैंड प्रोड्यूस करती है और जहां तक इन तीन चीजों का सम्बन्ध है इन की सेल की कोई प्राबलम नहीं है। इस के अलावा वहां जिक और सुपरफासफेट का भी प्रोडक्शन होता है। अभी यह जनवरी के महीने में उस जिक स्मैल्टर ने प्रोडक्शन बर्क शुरू किया था और उस के इनआयुरेशन के सिलसिले में हमारे माननीय उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था:

"We have been dependent for our zinc requirements on import which caused a great drain on our scarce foreign exchange resources. I am particularly happy that the quality of this metal is superior to the one guaranteed under the agreement with French experts."

इस की तारीफ 6 महीने पहले हो चुकी थी और उस जिक स्मैल्टर का प्रोडक्शन भी 200 परसेंट अधिक बढ़ गया है उस के बारे में जो रिपोर्ट हम में सरकुलेट की गई थी उस में कहा गया था:

"Hindustan Zinc Limited, since its inception, has strived to attain optimum production and has succeeded spectacularly having no public or private unit in India capable of claiming a similar result."

हमारे यहां रोजाना सवाल उठाये जाते हैं कि पबलिक सैक्टर में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं वह पूरी तौर से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं लेकिन यह हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जोकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर रही थी। जिक और सुपरफासफेट फटिलाइजर के अत्याधिक इकठ्ठा हो जाने के कारण इस फैक्ट्री को लैटर हाफ फ्रॉज जूलाई में अर्थात् 6 महीने बाद बंद कर देना पड़ा और जैसा कि मंत्री साहब ने बतलाया उस के काम को यकायक रोक देना पड़ा। मैं इस सवाल को दो हिस्सों में ही पूछना पसन्द करूंगा क्योंकि एकदम जवाब देने में मुश्किल होगी। जैसा कि उन्होंने बतलाया कि उन के पास जिक इनगोट्स का 5,000 टन स्टॉक ऐक्युमिलेटेड है, जिक कैथोड्स 2,000 टन के करीब है, सुपरफासफेट के बारे में बाद में मैं पूछूंगा, अभी मैं जिक के बारे ही सवाल करूंगा। अब जिक की पबलिक सैक्टर और टिस्को-इस्को में छपत कुल 30,100 टन की है अर्थात् आयरन ऐंड स्टील गैलवेनाइजिंग में 22,100 टन की जरूरत है, डिफेंस में 5,000 टन की जरूरत है और पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ्स में 3,000 टन की जरूरत है। मेरा सवाल है कि खास तौर पर जब पबलिक सैक्टर में ही इस की इतनी आवश्यकता है तो यह इतना स्टॉक पड़ा हुआ कैसे रह गया?

श्री प्र० च० सेठी : यह बात सही है कि इस फैक्टरी में उत्पादन कार्य शुरू करके उस का प्रोडक्शन बहुत शीघ्र ही फुल रेटेड कैपेसिटी को पहुंच गया और उत्पादन के प्रारम्भिक दिनों में 118 और 119 परसेंट उन्होंने प्रोडक्शन किया और वह बहुत ही संतोषजनक था। उस में कठिनाई यह उत्पन्न हुई कि इस वक्त उस फैक्टरी की 80,000 टन की सुपरफॉसफेट पैदा करने की क्षमता है और जिक वह 18,000 टन पैदा कर सकती है। इस समय तक उन्होंने 43,000 टन सुपरफॉसफेट पैदा किया जिसमें से उन्होंने 23,000 टन बेच दिया है और कोई 18-20 हजार टन उन के पास अभी भी स्टॉक विद्यमान है। अब उन के पास यह गुंजाइश नहीं है कि उस सुपरफॉसफेट का और स्टॉक कर सकें। वैसे सुपरफॉसफेट के जमा स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने उस का 25,000 टन लेने को कहा था लेकिन मध्यप्रदेश गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने उस में से 15,000 टन सुपरफॉसफेट इम्पजियेट बेसिस पर उठाने का विश्वास दिलाया है। मुख्य मंत्री से जो इस सम्बन्ध में हम ने वार्ता की थी उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने कृपा करके यह आदेश दे दिया है और बाकी का बचा हुआ 10,000 टन भी बाद में वह उठवा लेंगे। इस प्रकार से वहां जो स्टॉक के एक्युमिलेशन की दिक्कत हो गयी है वह इस तरह कम हो जायगी। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया। इस फैक्टरी के 15 सितम्बर 1968 से प्रोडक्शन रिज्यूम करने की आशा है।

जहां तक कि वह जिक का ताल्लुक है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पब्लिक सैक्टर का जिक प्रोडक्ट

बहुत अधिक प्योर है और उस में 99.95 परसेंट जिक है और यह बहुत अच्छी क्वालिटी का जिक होने के कारण यह डिफिकल्टी पैदा हो गयी कि रूरकेला प्लांट जोकि मुख्य रूप से जिक का कस्टमर था उस ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट में चूंक लैंड की इम्प्योरिटी कम है इसलिए वह इसे गैलवेनाइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह उस के लिए इन्फ्रीयर क्वालिटी का जिक चाहते हैं इस बारे में बातचीत की गई और यह तय पाया गया कि फिलहाल गैलवेनाइजिंग के लिए 100 टन का ट्रायल आर्डर जिक का प्लेस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके जिक इम्पोर्ट कम से कम 6 महीने न की जाय और अपनी जिक को खपाया जाय।

श्री भोला नाथ मास्टर : मेरा दूसरा प्रश्न सुपरफॉसफेट के बारे में है। यह सुपरफॉसफेट का हमारे यहां 20,000 टन से अधिक का स्टॉक हो गया है। अमरीका से भी बहुत ज्यादा सुपरफॉसफेट मंगाया जा रहा है और मुझे बतलाया गया है कि जून के महीने से बराबर बम्बई पोर्ट में हमारे जहाज खड़े हुए हैं जिनके लिए कि 7 लाख रुपया डैमरेज का दिया जा रहा है। अमरीका इस बात की कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सुपरफॉसफेट वह हमें सप्लाय करे तो मैं जानना चाहता हूँ कि जबकि हमारे यहां खुद उस का स्टॉक जमा पड़ा हुआ है तो यह अमरीका से सुपरफॉसफेट मंगाना कब बंद किया जायगा ?

जो बिजली हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड को दी जा रही है वह ज्यादा पैसे में दी जा रही है अर्थात् डी सी एम को दो पैसे के हिसाब से दी जा रही है जबकि पब्लिक सैक्टर में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड को 10 पैसे के हिसाब से बिजली दी जाती है। इसी तरीके से केरल स्टेट में

कोर्मिन को ढाई पैसे के हिसाब से बिजली दी जा रही है और यहां जिक लिमिटेड को दस पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। यह सुपरफौसफेट यू० पी० गवर्नमेंट और अन्य सरकारें क्या इसीलिए नहीं उठा रही हैं कि हमारा प्रोडक्ट उन को महंगा पड़ता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अंतिम प्रश्न का मैं पहले उत्तर दूंगा। जहां तक यह बिजली का सवाल है बिजली के रेट के सम्बन्ध में राजस्थान गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है। माननीय सदस्य राजस्थान से आते हैं और मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह भी राजस्थान गवर्नमेंट से बिजली का रेट कम करने के बारे में बातचीत करें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

जहां तक सुपरफौसफेट के यहां पर आयात करने का प्रश्न है जो जानकारी मैंने फुड ऐंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से प्राप्त की है उस के अनुसार जहां सन् 1967-68 में हमारे यहां पांच लाख टन के करीब सुपर-फौसफेट की आवश्यकता थी सन् 1968-69 में 6 लाख 50 हजार टन की आवश्यकता होगी। यहां जो सुपरफौसफेट का उत्पादन हुआ उस के बारे में स्थिति यह है कि उस का टार्गेट 2 लाख 70 हजार टन का था लेकिन वह यहां 2 लाख टन ही पैदा हुआ और इसलिए बाकी का हमें बाहर से मंगाना पड़ा और कोई साढ़े 3 लाख टन के करीब हम ने आयात किया। स्वेज नहर के बंद होने के कारण वह माल देर से आया इसलिए किसान लोग उसे उठा नहीं पाये और इस कारण यह लास्ट इयर का कैरीओवर किया गया और परिणामस्वरूप इस साल जहां हम 3 लाख और 30 हजार टन मंगाने वाले थे उस को घटा करके हम ने इस साल केवल 1 लाख 36 हजार टन ही मंगाया। इस तरह से हम अपने आयात को बैलेंस

करने की कोशिश कर रहे हैं और यह तय किया गया है कि अपने यहां की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही केवल हम उतना ही आयात करेंगे जितना कि बिलकुल आवश्यक होगा। हम इम्पोर्ट को जहां तक हो सके कम करने की कोशिश में हैं और केवल उतना ही मंगायेंगे जितना कि बिलकुल मंगाना आवश्यक होगा। यह मंत्रालयों के बीच में हुई बातचीत में निश्चय किया गया है।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को डिमान्ड ऐंड सप्लाई के प्रपोर्शन का पहले से पता था या नहीं ? अगर उस को पता था तो अभी पिछले दिनों इस सदन में माना गया है कि जो सुपरफौसफेट हम यहां पैदा करते हैं और जो बाहर से मंगाने हैं उस की कीमत में 450 रु० का फर्क है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर डिमान्ड ऐंड सप्लाई के प्रपोर्शन का पता पहले से कर लिया जाता तो हम को कितना फायदा हो सकता था और इस कारखाने की स्कावट से जो नुकसान हमारा हुआ है उस को हम किस हद तक बचा सकते थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो सुपरफौसफेट प्राइवेट सेक्टर वाले बेचते हैं उन की कुल बेचने की कीमत 320 रु० है और जो हम बेच रहे हैं वह उस से सस्ती है। तब 450 रु० का फर्क कैसे आया यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री कंबरलाल गुप्त : हमारी एक साल की जिक की रिक्वायरमेंट 65 हजार टन की है और इस 65 हजार टन के लिये अप्रैल में ने कर जूलाई तक यानी पांच महीने में हम ने 51,508 टन जिक इम्पोर्ट किया है और केवल 13,492 टन जिक जो यहां के कारखानों का बना हुआ पड़ा रह गया वह इन्मेमाल होगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना

चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो फर्टिलाइजर, जिक या दूसरी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वह हम अमरीका के दबाव के कारण कर रहे हैं? श्री रघुनाथ सिंह ने, जो कि जिक कारपोरेशन के चेअरमैन हैं, जो कुछ 19 तारीख को कहा है उस को मैं आप की आज्ञा से पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि :

“Mr. Singh said, it is known that the United States of America has a stock of more than a billion tonnes of fertilisers representing their one year's production. It is also believed that they are using strong political and economic pressure on developing countries for buying their fertiliser. Re-financing of our loans were made subject to our purchasing their fertiliser.”

क्या यह बात सही है कि हमारे लोन्स के रिफाइनेन्सिंग की जो शर्तें लगी हुई हैं उन की वजह से हमें फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है? अगर यह सही है तो क्या सरकार इसे बन्द करेगी ताकि यहां के कारखानों का बना हुआ माल इस्तेमाल हो सके?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक जिक की आवश्यकता का ताल्लुक है, इस वर्ष जिक की आवश्यकता 85 से 88 हजार टन की आंकी गई है, 65 हजार टन की नहीं। जहां तक आयात का सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय देश की उत्पादन क्षमता 18 हजार टन उदयपुर की है और करीब 10 हजार टन प्राइवेट सेक्टर की है, इस तरह में लगभग 27-28 हजार टन की है।

श्री कंवरलाल गुप्त : 38 हजार टन।

श्री प्र० चं० सेठी : 38 हजार टन अगले साल हो जायेगा, इस माल 28 हजार टन की है। इस लिये इस क्षमता को ध्यान में रख कर इम्पोर्ट को तय किया गया। लेकिन बीच में जिक की

काफी शॉर्टेज थी। एक वक्त में 1966 के आस पास जिक की कमी की वजह से सारा गल्बनाइजिंग का काम बन्द सा था। 1966 में जब ओपन किया तब ओपन जनरल लाइसेंस की तहत ऐक्चुअल यूजर्स को अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिये गये। उन के पिछले क्षमता के ऊपर चूंकि उस समय जिक की कमी थी इस लिये जिक का आयात किया गया। यह जो उत्पादन हुआ है वह इस साल हुआ है। उन लाइसेंसों में से कुछ लाइसेंस मैटीरियलाइज हो रहे हैं। लेकिन अब यह तय हुआ है कि देश की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिक का आयात किया जायेगा। और अब तक जो एम० एम० टी० सी० अलग करता था और ऐक्चुअल यूजर्स अलग करते थे उन की एक सेंट्र-लाइज्ड एजेंसी हो इस का पूरा ध्यान रखना जायेगा और देश की उत्पादन क्षमता का ध्यान रख कर आयात किया जायेगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : अमरीका के प्रेशर और श्री रघुनाथ सिंह की बात जो मैंने कोट किया उस के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है?

श्री प्र० चं० सेठी : हमें अपनी क्षमता के अनुसार मंगाना है, हम किसी के प्रेशर की वजह से नहीं मंगायेगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में जिक की रिक्वायरमेंट काफी है और जिक का प्रोडक्शन भी कम है तब क्या यह कारण नहीं है कि हमारे यहां के जिक की खपत इसलिए कम है कि हमारे यहां की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडियन जिक को इस्तेमाल इस लिये नहीं करतीं कि फारेन इम्पोर्टेड जिक उस से सस्ता पड़ता है? यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय ने इस विषय पर विचार किया है कि इंडियन

जिक की जो कीमत है उसे फारेन जिक के मुकाबले में कम किया जाये और यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया है, यदि किया है तो क्या ? मंत्री महोदय इस का ब्योरा देंगे।

श्री प्र० चं० सेठी : यह बात सही है कि बाहर से आने वाला जिक यहां से सस्ता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को जो जिक दिया जाये उस में इंडियन जिक के साथ साथ इम्पोर्टेड जिक भी दिया जाये ताकि वह दोनों का इस्तेमाल कर के अपना काम कर सकें।

श्री अंकारलाल बोहरा : यह जो प्लैन्ट उदयपुर में लगाया गया है उस की अन्डरटेकिंग के समय उस का 90 प्रतिशत कम्प्लीशन हो चुका था और पिछले 3 वर्षों में बाकी 10 प्रतिशत कम्प्लीट हुआ है और उस पर काफी खर्च किया गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में यहां पर बतलाया गया कि सरकार को पता नहीं है कि उस की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या हैं। जिक के बारे में, सुपरफोस्फेट के बारे में और दूसरी उन चीजों का उत्पादन होता है उन के बारे में बतलाया गया है कि चूंकी हम ने कम्पनी को मेटल कारपोरेशन को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है इस लिए उन के कास्ट आफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं बतलाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वहां पर ओवर स्टाफ रखा गया है जिस की वजह से खर्च बढ़ रहा है। जरूरत यह थी कि जब कोलेबोरेटर्स से ऐप्रीमेंट हुआ था उस में यह शर्त रखी जाती कि पूरे समय में उत्पादन को बढ़ायेंगे। लेकिन आप ने इमिजिएटली उत्पादन कर के और ओवर स्टाफिंग कर के यह स्थिति पैदा कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो ओवर स्टाफिंग है क्या आप उस की छंटनी करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरी जानकारी के मुताबिक वहां ओवर स्टाफिंग नहीं है। रही बात यह कि जिस फैक्ट्री का फुल उत्पादन तीसरे साल में जा कर होना चाहिये था अगर वह पहले साल में ही उस को पूरा कर ले तो यह कोई गुनाह या नुकसान की बात नहीं है। जहां तक इस फैक्ट्री की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने का ताल्लुक है उस की अकाउंटिंग इस लिये नहीं हुई है कि कम्पेन्सेशन का सवाल अभी तय नहीं हुआ है। यह मामला कोर्ट में चला गया है, इस लिये उस के हिसाब का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है।

SHRI N. K. SOMANI : It has become patently clear that because of the irresponsible issuance of free licences by the Commerce Ministry for the import of 50,000 tons of zinc this year alone, the indigenous plant capacity is being forced to remain idle and there is absolutely no coordination between these two Ministries, which is entirely at the cost of foreign exchange and an infant public sector project. To my mind the only chance is that India should be able to develop the export of zinc in times to come. While the cost of imported zinc is Rs. 2,800 per tonne, our cost of production comes to Rs. 3,200 per tonne which is inclusive of excise duty and the high cost of power charged by the Rajasthan Electricity Board. In this context, may I know from the Government of India whether it will take steps to export zinc in the near future by cutting down the excise duty and also bringing down the rate of power which is being charged in Rajasthan ?

SHRI P. C. SETHI : Our requirement of zinc in 1967-68 is 80,000 tonnes; in 1968-69 it is 88,000 tonnes and in 1969-70 it will be 96,800 tonnes. Our total available production next year will be only 38,000 tonnes. Therefore, there is hardly any scope for trying to export. As far as the import of zinc is concerned, the price is Rs. 2,300 per tonne and a countervailing duty of Rs. 500 is

put over it. Therefore, from that point of view also we will have to heavily subsidise if we try to export. So, there is no chance of export. Our requirements are also much higher than our production.

SHRI THIRUMALA RAO : Is it not a fact that while units like DCM are able to produce and sell their products to Congress Governments, a public sector project is not able to sell its stock to Congress Governments? What is the snag here? Why is it that the private sector is able to command a better market than our own institutions? Will the Minister explain why it is so?

SHRI P. C. SETHI : As far as the cost of superphosphate of Hindustan Zinc is concerned, we are able to produce it cheaper than private sector parties. It is true that we were depending on their supplies to give to Madhya Pradesh 25,000 tonnes and Rajasthan 10,000 tonnes. We are trying in the other States also but they could not materialise. Our selling price is comparatively much cheaper than the selling price of the private sector parties. But I would admit that the sales organisation of Hindustan Zinc has not yet picked up and there is scope for improving the sales organisation.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नायलोन तथा स्टेनलेस स्टील का आयात

*695. श्री रामबतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलोन तथा स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं के आयात पर या तो प्रतिबंध है या उनके आयात पर अत्यधिक आयात शुल्क तथा अन्य कर लगाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं के निर्माण के लिये बहुत से भारतीय उद्योगपतियों ने नेपाल में कारखाने स्थापित किये हैं ; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारत-नेपाल सीमा पर निर्वाध व्यापार की सुविधा का लाभ उठा कर इन उद्योगपतियों ने ये वस्तुएं भारत को भेज कर सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा कर दी हैं ; और

(घ) क्या इससे भारत में उद्योग पतियों में असंतोष पैदा हो गया है ; और यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (घ) : भारत में नायलोन के आयात पर 23.94 रु० प्रति कि०ग्रा० से लेकर 52.05 प्रति कि०ग्रा० के मध्य सीमा-शुल्क लिया जाता है। स्टेनलेस स्टील की चादरों पर सीमा-शुल्क 100 प्रतिशत है। इन दोनों मदों का आयात भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

2. उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल में स्टेनलेस स्टील के वर्तन बनाने वाले 5 कारखाने हैं। इन सभी कारखानों के मालिक नेपाली राष्ट्रिक हैं। संश्लिष्ट कपड़ा बनाने वाले कारखानों की संख्या 4 बताई जाती है। इनमें से दो भारतीय राष्ट्रिकों के हैं।

3. सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ वस्तुओं का, जो नेपाली कच्चे माल पर आघारित नहीं होती, भारत में शुल्क रहित आयात इन वस्तुओं के स्वदेशी निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

INQUIRY COMMISSION ON BIRLA GROUP OF INDUSTRIES

*698. SHRI UMANATH:
SHRI KAMESHWAR SHINGH:
SHRI A. SREEDHARAN:
SHRI P. GOPALAN: